राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–ई–18 / एम / डीपीसी / तक0सहा0 / एफ–360 / 19 / 136 दिनांकः– 23-8-19

आदेश

कार्मिक (क–2) विभाग की आई0डी0 क्रमांक 1413 / डीओपी / ए–2 / 18 दिनांक 18.09.18 के द्वारा वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन से तकनीकी सहायक पद पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव 5 वर्ष में एक वर्ष की शिथिलता प्रदान किए जाने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक क्रमांकः–ई–18 / एम / डीपीसी / त0स0 / एफ–360 / 19 / 39 दिनांक 08.03.19 के द्वारा वर्ष 2018–19 की रिक्ति के विरूद्व 159 वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन को तकनीकी सहायक पद पर पदोन्नत किया गया था, किन्तु लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पदस्थापन आदेश जारी नहीं हो सके। तत्पश्चात कार्मिक (क–2) विभाग की आई0डी0 क्रमांक 1000 / डीओपी दिनांक 16.8.2019 के द्वारा वर्ष 2018–19 गें तकनीकी सहायक पद पर पदोन्नत कर्मचारियों के पदस्थापन तक की कार्यवाही दिनांक 25.8.19 तक सम्पादित किये जाने की शिथिलता प्रदान किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2018–19 में ''डैफर'' रहे कार्मिकों में से 305 वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन को पुनरावलोकन बैठक दिनांक 20.08.19 की अभिशंषा के आधार पर निदेशालय के आदेश क्रमांक 134 दिनांक 21.08.19 के द्वारा तकनीकी सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

कार्मिक विभाग के द्वारा प्रदत शिथिलन के आधार पर उक्त पदोन्नत कार्मिकों को दिनांक 25.08.19 तक पदौन्नति पर कार्यग्रहण करना आवश्यक है अतः आदेश क्रमांक ई–18 / एम / डीपीसी / त0स0 / एफ–360 / 19 / 39 दिनांक 08.03.19 एवं आदेश 134 दिनांक 21.8.2019 में वर्णित क्रमशः 159 एवं 305 कुल 464 वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन से तकनीकी सहायक पद पर पदोन्नत कार्मिक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही दिनांक 25.8.19 तक कार्यग्रहण कर लेवे। अन्यथा पदोन्नति ''फोरगो'' मानते हुए उक्त पदौन्नति आदेश निरस्त समझे जावेगें।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1) / डीओपी / ए–II / 95 दिनांक 20.06.2001 एवं दिनांक 19.09.17 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कार्मिकों में से किसी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगें इस आशय का संबंधित कर्मचारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करवाया जायेगा।

(मुकुल शर्मा)
अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

Scanned by CamScanner

क्रमांकः—ई—18 / एम / डीपीसी / तक0सहा0 / एफ—360 / 19 / 136 दिनांकः— 23-8-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1— विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर ।

2— विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।

3— निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।

4— उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—3) विभाग, जयपुर।

5— समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान को प्रेषित कर लेख है की दिनांक 25.8.19 को राजकीय अवकाश होने के कारण कार्यालय खुलवाकर आदेश की पालना में तकनीकी सहायक पद पर पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों की कार्यग्रहण रिपोर्ट प्राप्त करते हुए सूचना दिनांक 27.08.19 को सायं 5.00 बजे तक मेल आई.डी. add4ng@gmail.com पर साफ्ट कॉपी में आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

6— प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करावें एवं समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को उनके मेल आई.डी. पर भी भिजवाये।

7— आदेश / रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

Scanned by CamScanner